मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक १९ दिसम्बर, १९६७.

क्र. २६१०-३४२२-१-३-६७—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य में अंग्रेजी शीघ्रलेखकों और मुद्रलेखकों के रूप में कार्य कर रहे आवंटित शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

१. ये नियम 'मध्यप्रदेश अंग्रेजी शीघ्रलेखक तथा मुद्रलेखक (प्रशिक्षण) नियम, १९६७" कहलाएंगे.

२. ये नियम ऐसे समस्त आवंटित शासकीय कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो अंग्रेजी शीघ्रलेखक और/या अंग्रेजी मुद्रलेखक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने हिन्दी शीघ्रलेखन तथा हिन्दी मुद्रलेखन में अर्हता प्राप्त नहीं की है.

३. इन नियमों में "आवंटित शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य किसी भूतपूर्व राज्य की सेवा के ऐसे व्यक्ति से है, जो मध्यप्रदेश राज्य की सेवा के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११५ के उपबन्धों के अधीन वण्टित किया गया हो या वंटित किया गया समझा गया हो और अभी भी नये राज्य की सेवा में हो.

४. प्रत्येक आवंटित शासकीय कर्मचारी को, जो अंग्रेजी शीघ्रलेखक और/या अंग्रेजी मुद्रलेखक के रूप में कार्य कर रहा हो, इन नियमों के प्रारम्भ होने के तत्काल पश्चात् उसके अपने संभाग में स्थित शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र में हिन्दी शीघ्रलेखन या हिन्दी मुद्रलेखन में प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, और ऐसे केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि के अन्त में शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा समिति द्वारा संचालित हिन्दी शीघ्रलेखन और / या हिन्दी मुद्रलेखन में विहित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन और मुद्रलेखन में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी और अंग्रेजी मुद्रलेखक के लिए हिन्दी मुद्रलेखन में प्रशिक्षण की अवधि छः माह होगी. विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि दो वर्ष होगी अर्थात् अन्य शासकीय कर्मचारियों के लिए अनुमत सामान्यतः स्वीकार्य अवधि की दुगनी, जो प्रशिक्षण पूर्ण होने के दिनांक से प्रारंभ होगी. ऐसे शासकीय कर्मचारियों को, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों, किन्तु जिन्होंने विहित परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की हों, परीक्षा /परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष का समय दिया जाएगा.

५. ऐसे आवंटित शासकीय कर्मचारियों को, जो ४५ वर्ष या इससे अधिक आयु के हों, इन नियमों के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने या परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त होगी.

६. आवंटित शासकीय कर्मचारियों को, इस शर्त के अधीन पदोन्नत किया जायगा कि वे अतिरिक्त समय के भीतर विहित परीक्षा / परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, अर्थात् अनुमत अवधि के समाप्त होने के पूर्व पदोन्नतियां या वेतन वृद्धियां मात्र इस कारण से नहीं

रोकी जाएंगी कि आवंटित कर्मचारी ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है. यदि आवंटित शासकीय कर्मचारी प्रस्तावित किये जाने पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा न करे और/या अतिरिक्त समय के भीतर विहित परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके, तो वह अपनी वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार और पदोन्नति का पात्र नहीं होगा. यदि वह अतिरिक्त समय दिये जाने के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, तो वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से वेतन-वृद्धि या पदोन्नति का हकदार होगा.

(७) सा. प्र. वि. के ज्ञापन क्र. २२०-११०-एक. पी. सी. और ३०३०-सी. आर.-३७२-एक(तीन)-६३, दिनांक ३० अगस्त, १९६२ और ४ दिसम्बर, १९६३ में यथा उल्लिखित तथा शिक्षा विभाग के ज्ञापन-क्र. ६१०९-२०७१-वीस-सी-सी, दिनांक १७ दिसम्बर, १९६२ में यथा उल्लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ आवंटित शासकीय कर्मचारियों को मार्च १९७४ के अन्त तक प्राप्त हो सकेंगे. तथापि ये लाभ ऐसे कर्मचारियों को, जो विहित परीक्षा या परीक्षाएं इस प्रयोजन के लिए विहित अवधि के पश्चात् उत्तीर्ण करें, प्राप्त नहीं होंगे.

(८) यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो, तो वह राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

वी. के. दुबे,
अपर सचिव, म. प्र. शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क. २५५१-बत्तीस-भा.वि.-
द्वारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
सी., दिनांक २८ फरवरी,
के द्वारा निम्न विषय उल्लिखि

(क) दवाइयों के नुस्
प्रतिवेदन.

(ख) अंग्रेजी में कार्य न
होनेवाला (

(ग) निम्नलिखित मा

(१) किसी अभि

(२) चिकित्सा त
तथा

(३) मध्यप्रदेश के

(घ) व्यवहार प्रक्रिया
संहिता, १८

उक्त विषयों के अतिरिक्त,